न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : आर. के.जैन

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3114/2018/रीवा/भू0रा0 विरूद्व आदेश दिनांक 09–05–2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का राजस्व प्रकरण कमांक 1301/अपील/12017–18

लल्लू कुशवाहा तनय छोटई कुशवाहा
निवासी ग्राम एवं पोस्ट चौखड़ा थाना जनेह
तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

श्रीमती सरला देवी कुशवाहा पत्नी संतोष कुशवाहा
निवासी ग्राम बरा, पोस्ट बडागांव थाना सोहागी
तहसील त्योंथर जिला रीवा म0प्र0

.....अनावेदक

श्री आई0पी0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील जौदान, अभिभाषक, अनावेदक

: : आ दे श : :

(आज दिनांक 27/03/2019 को पारित)

, आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू– राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 09–05–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम चौखडा के नामांतरण पंजी कमांक 28 में पारित आदेश दिनांक 24–6–2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 104/अ–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 28–9–2017 से आवेदक की अपील स्वीकार की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अपर आयुक्त रीवा संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त

ने दिनांक 09–05–2018 को आदेश पारित कर अनावेदिका की अपील स्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में ग्राम चौखड़ा के नामांतरण पंजी कमांक 28 पर प्रश्नाधीन बटवारा नामांतरण के प्रकरण में आवेदक ने अपने हस्ताक्षर/अंगूठा को प्रमाणित नहीं होना बताया है। प्रकरण में केवल यह लिखने से कि आवेदक अपनी पुत्री को भूमि देना चाहता है यह बटवारे की परिधि में नहीं नहीं आता है। विचारण न्यायालय में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कर आपत्तियॉ आंमत्रित नहीं की गई। इश्तहार पंजी में संलग्न नहीं है। संहिता की धारा 178 के अनुसार पंजी में ना कोई आवेदन है न इश्तहार, ना ही आपत्तियों की सुनवाई की गई। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पंजी पर बटवारा नहीं किया जा सकता। नामांतरण पंजी पर किया गया आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा सहमति बटवारा मान्य करने में चूक की है। जब आवेदक द्वारा अपनी सहमति तथा अंगूठे की पुष्टि नहीं की थी तो सहमति मानना कानूनन त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अपर आयुक्त ने इस विधिक बिन्दु की अनदेखी की है कि पंजी पर बटवारा नहीं जा रहा है। विधि के बिन्दु पर की गई त्रुटि के कारण अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 09–5–2018 निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा का आदेश दिनांक 23–9–2017 स्थिर रखा जाता है।

(आर0 के0 जैन) 27/03/19
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर